

रजिस्टर्ड ए० डी०

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines

क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002

Office of the Regional Controller of Mines.  
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002  
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

ई मेल:- [ro.ajmer@ibm.gov.in](mailto:ro.ajmer@ibm.gov.in)

No RAJ/Udp/Pb Zn- 01 Vol-VI

Date- 4 / 5/ 2018

प्रेषित M/S Hindustan Zinc Ltd,  
P.O.- Zawar Mines, Zawar,  
Udaipur, Rajasthan

विषय: राजस्थान राज्य के Udaipur जिले में स्थित आपकी Mochia Pb Zn Ore खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन (खान कोड संख्या 34RAJ26002)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक **11.2.2018** को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

नियम

उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा

- 11(1) 1) The Mining operations have not been carried out in accordance to the modified mining plan (approved on 24/11/2016) to the extent as below.

Year	Proposed block wise development	Actually block wise achieved development	Shortfall in development
2016-17	4500 m	3393 m	1107 m
2017-18	7200 m	6857 m	343 m

2)

Year	Proposed block wise Production	Actually block wise achieved Production	Excess production
2016-17	4,25,000 T	4,07,800 T	N A
2017-18	190375 T	6,25,169 T	434794 T

Above status indicates that on one hand mine development is lower whereas on other hand actual production is more than the approved limits.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

( एच.सी.शर्मा )

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर । (ई-मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।
- 3 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो